संख्या : 36 /XXIV-3/2007/02(122)05

प्रेषक

एस0 के0 माहेश्वरी,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 2| मार्च, 2007

विषयः राजकीय इण्टर कालेज पोखरी, टिहरी के अनावासीय भवन के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन–4/20007/जीर्ण–शीर्ण भवन/2006–07 दिनॉक 20–7–2006 के संदर्भ एवं शासनादेश संख्याः 127/माध्यमिक/2001 दिनॉक 21–12–2001 एवं शासनादेश संख्याः 397/XXIV-3/2005 दिनॉक 13–12–2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय इण्टर कालेज पोखरी, टिहरी के अनावासीय भवन के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 259.19 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 191.80 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 67.39 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में रू0 28.20 लाख (रूपये अट्ठाइस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्याः 233/ XXIV-3/2006 दिनॉक 27–4–2006 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 3090.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार राक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

(5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(6)– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9)– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक– 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा– 202–माध्यमिक शिक्षा– आयोजनागत – 00– 11– राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण – 24– वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 1793/XXVIII-3/06 दिनॉक 19 मार्च,2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
सचिव

संख्याः 36 (1)/XXIV-3/2007 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल– पौड़ी।
6– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी।
7– जिलाधिकारी, टिहरी।
8– कोषाधिकारी, टिहरी।
9– जिला शिक्षा अधिकारी टिहरी।
10– वित्त अनुभाग–3 /नियोजन प्रकोष्ठ।
11– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
12– संबंधित निर्माण एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम।
13– कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
14– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव